निदेशालय
समेकित बाल विकास सेवाएं, उत्तरांचल
डी-47, सेक्टर 4, डिफेंस कालोनी, देहरादून।
संख्या स्था-1788 /प्रदेशा प्रशि0/आप/2003-2004 दिनांक 18.03.04

कार्यालय ज्ञाप

विषय – आंगनवाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र/मध्यवर्ती प्रशिक्षण केंद्र द्वारा निकट के आंगनवाड़ी केन्द्र को मॉडल आंगनवाड़ी केन्द्र के रूप में विकसित करने के सम्बन्ध में।

उदिशा परियोजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश संख्या [illegible] दिनांक- 19.05.99 निहित प्रावधान [illegible] के अनुसार

प्रत्येक आंगनवाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र/मध्यवर्ती प्रशिक्षण केन्द्र निकट के एक आंगनवाड़ी केन्द्र को अपनाकर उसे एक मॉडल आंगनवाड़ी केन्द्र के रूप में विकसित करेगा। यदि आंगनवाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र/मध्यवर्ती प्रशिक्षण केन्द्र के निकट कोई आंगनवाड़ी केन्द्र न हो तो ऐसी दशा में आंगनवाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र/मध्यवर्ती प्रशिक्षण केन्द्र स्वयं एक मॉडल आंगनवाड़ी केन्द्र स्थापित करेगा।

अतः उपर्युक्त के क्रम में प्रत्येक प्रशिक्षण केन्द्र निम्न सूचना दिनांक [illegible] तक निदेशालय में उपलब्ध करायें–

1. अपनाये गये/स्थापित आंगनवाड़ी केन्द्र का नाम
2. अपनाये गये/स्थापित आंगनवाड़ी केन्द्र में उपलब्ध सुविधाओं की सूची
3. अपनाये गये/स्थापित आंगनवाड़ी केन्द्र की सामाजिक व्यवस्थाओं की सूची
4. अपनाये गये/स्थापित आंगनवाड़ी केन्द्र को मॉडल आंगनवाड़ी केन्द्र के रूप में विकसित करने हेतु क्रियान्वयन योजना।

मॉडल आंगनवाड़ी केन्द्र विकसित करने हेतु निम्नलिखित मानक निर्धारित किया जाता है–

1. प्रत्येक दिन एक बार पोछा एवं दो बार झाड़ू लगाया जाना चाहिए
2. दिन में दो बार शौचालय को फिनाईल से साफ करना चाहिए
3. बर्तन एवं रसोई की बराबर सफाई की जानी चाहिए
4. खाना खिलाने से पहले बच्चों के एवं खाना खिलाने वाली सदस्य को अच्छी तरह साबुन से अपने हाथ धोने चाहिए
5. सभी पंजिकाएं केन्द्र पर हमेशा पूर्ण रहनी चाहिए एवं सभी को प्राप्य होनी चाहिए
6. प्रत्येक माह वजन का कार्य होना चाहिए
7. कार्यकर्ती का प्रत्येक सप्ताह प्रत्येक घर में कम से कम एक बार ग्रोथ मॉनीटरिंग एवं न्यूट्रिशनल परामर्श के लिए जाना चाहिए
8. महिला ग्रुप की सदस्यों की आंगनवाड़ी केन्द्र के संचालन एवं गतिविधियों में पूर्ण भागीदारी होनी चाहिए
9. महीने में एक बार ग्राम-प्रधान/अन्य जनप्रतिनिधियों को बुलाकर लाभार्थियों को सम्बोधित कराया जाना चाहिए
10. महीने में एक बार लाभार्थी एवं केन्द्र के कार्यकर्ताओं की सामूहिक सभा बुलानी चाहिए। इस सभा में दोनों तरफ के मामले एवं केन्द्र कार्य नियोजन पर चर्चा एवं हल निकलना चाहिए
11. केन्द्र पर नियमित रूप से जच्चा बच्चा जांच एवं टीकाकरण सम्बन्धित गतिविधियां नियमित रूप से आयोजित होनी चाहिए

12. केन्द्र पर सप्ताह में एक बार किशोरियों के साथ किशोरी सम्बन्धित स्वास्थ्य चर्चा होनी चाहिए.
13. आंगनवाड़ी कार्यकर्ती द्वारा स्वयं एवं अन्य महिलाओं के सहयोग से किशोरियों, नवविवाहित, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं के साथ समय समय पर गर्भाधारण, परिवार–नियोजन, समाज में प्रचलित भ्रामक रूढ़ियां, पारिवारिक समस्याओं, पोषण एवं स्वास्थ्य सम्बन्धित चर्चाओं का आयोजन किया जाय.
14. विभाग / गैर–सरकारी संस्थाओं द्वारा जारी किये गये स्वास्थ्य एवं जनकल्याण सम्बन्धी प्रचार–प्रसार सामग्री का लाभार्थियों एवं ग्रामीण जनता को वितरण किया जाय.
15. निम्नलिखित सामग्री आंगनवाड़ी केन्द्र पर अवश्य होनी चाहिए–
    - वेइंग मशीन.
    - हेल्थ एण्ड न्यूट्रिशन कार्ड प्रत्येक लाभार्थी के लिए.
    - निपसिड द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के लिए जारी की गयी मार्गदर्शिकायें.
    - मेडिकल ऑफीसर्स, एल.एच.वी. एवं ए.एन.एम. के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिया गया फर्नीचर.
    - सातों पंजिकायें केन्द्र में उपलब्ध होनी चाहिए एवं सभी को प्राप्य होनी चाहिए.
    - निम्न बर्तन होने चाहिए:–

क.सं.	बर्तनों के नाम	धातु का प्रकार	संख्या
1	2	3	4
1	13 किलो क्षमता वाला भगोना ढक्कन सहित	अच्छी क्वालिटी की एल्युमिनियम	02
2	चकला	लकड़ी	01
3	बेलन	लकड़ी	01
4	चिमटा	स्टील	01
5	100ग्राम क्षमता वाला कल्छी / चम्मा	स्टील	02
6	तवा	लोहा	01
7	छन्नी (पूड़ी उतारने वाली)	अच्छी क्वालिटी की एल्युमिनियम	01
8	छोट गिलास	स्टील	40
9	चम्मच	स्टील	40
10	200ग्राम क्षमता वाली क्वाटर प्लेट	स्टील	40
11	परात	स्टील	01
12	आटा छानने की छन्नी	टिन	01
13	पाँच किलो क्षमता वाली गिलगनी	टिन	02

(दमयन्ती दोहरे)
निदेशक

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक उपर्युक्तानुसार।
प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–
1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
2. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. अध्यक्ष / प्राचार्य / सचिव, समस्त आंगनवाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र, उत्तराखण्ड।

(दमयन्ती दोहरे)
निदेशक